संपादकीय

भारत - संयुक्त अरब अमिरात

संयुक्त आर्थिक साझेदारी समझौता निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा के साथ तकनीकी सहयोग में सहयोगी होगा

कुशाग्र

खाड़ी के देशों में भारत व संयुक्त अरब अमिरात के साथ मित्रता व परस्पर विश्वास में तेजी से मजबूती आई है। दोनों देशों ने एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझकर द्वीपक्षीय समन्वित आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) किया है। ऐसा समझौता संयुक्त अरब अमिरात के द्वारा पहली बार किसी देश के साथ किया गया है। इस समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार को बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर करना है।

इसी सन्दर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि परस्पर विश्वास व महत्वकांक्षाओं के साथ दोनों देशों ने अपने राष्ट्राध्यक्षों को एक-दूसरे के देश में सम्मानित करने का भी कार्य किया है। दोनों देशों को इस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए सर्वप्रथम निवेश व व्यापार की बाधाओं को समाप्त करना होगा और एक स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण करके निवेश व व्यापार के प्रवाह को बढ़ावा होगा।

दोनों देशों के बीच परस्पर रिश्ते इस समय व्यापार से भी आगे निकल गये हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे की सामाजिक आवश्यकताओं को भी समझने का कार्य किया है। संयुक्त अरब अमिरात ने भारत की तेल गैस आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में स्वयं स्टोरेज के लिए वृहतर स्तर पर निवेश के साथ बुनियादी ढांचागत विकास की वृहतर योजनाओं में भी साझेदारी व निवेश का निर्णय लिया है।

उससे कई अधिक लाभ भारत को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निवेश से मिलने की संभावना है। सऊदी अरब भी व्यवसायिक दृष्टि से भारत की सड़क परियोजनाओं में निवेश की योजना बना रहा है। भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता राष्ट्र है और भारत की एक मिलियन बेरल प्रतिदिन के स्तर पर रिफाइनरी क्षमता को अर्जित करने की योजना 2030 तक है। आने वाले 15 वर्ष की अवधि में भारत की शहरी आबादी बढ़कर 70 करोड़ हो जाने की संभावना है और भारत की हवाई सेवा क्षमता भी 150 करोड़ बढ़ जाने की संभावना है। इसी तरह कौशल विकास के साथ भारत की डाटा सेन्टर क्षमता में 110 गुणा वृद्धि होने की संभावना है। भारत आज विश्व में सर्वाधिक तेज गति से आर्थिक विकास के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी क्षमता को बनाये रखने के लिए भारत को उत्पादन निवेश स्टोरेज व्यापार व लॉजिस्टिक के क्षेत्र आगे बढ़ते रहना होगा।

दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 100 बिलियन डॉलर हो गया है और इसके 2032 तक बढ़कर दोगुना हो जाने की संभावना है, आबुधाबी राष्ट्रीय तेल कम्पनी (ADNOC) का सबसे बड़ा बाजार है और यह कम्पनी परम्परागत स्तर पर भारत को सर्वाधिक एलपीजी गैस की आपूर्ति करती रही है। इसके साथ ही यह कम्पनी भारत के लिए खनिज तेल व गैस आपूर्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय केन्द्र है। जनवरी के दौरान संयुक्त अरब अमिरात के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की मित्रता व साझेदारी का सप्ताह गोवा में मनाया गया था। इस दौरान ही AONOC ने भारत के साथ आठ बिलियन डॉलर का गैस आपूर्ति समझौता भी किया था। साझेदारी दोनों देशों के बीच समान रूप से बढ़ रही है। वर्ष 2008 में ही संयुक्त अरब अमिरात ने भारत में खनिज तेल के स्टोरेज की शुरूआत कर दी थी। यह पहला देश था, अब तीन अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच साझेदारी का तेजी से विकास हो रहा है। दोनों देश परस्पर ऊर्जा सप्लाई चेन के विकास व विस्तार की योजना पर कार्य कर रहे हैं। इसी सन्दर्भ में AONOC ने 150 बिलियन डॉलर के निवेश कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कम्पनी वर्ष 2027 तक अपनी तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर रही है। संयुक्त अरब अमिरात ने भारत को एक तिहाई गैस आपूर्ति अपने स्तर पर करने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। दोनों देशों ने गैस तेल के साथ औद्योगिक साझेदारी के विकास की दिशा में भी कार्य शुरू किया है। भारत पेट्रोकेमीकल फर्टीलाईजर के साथ एडवान्स मेटीरियल के साथ औद्योगिक तकनीक के क्षेत्र में विशेष कार्य कर सकता है। भारत ने संयुक्त अरब अमिरात के तकनीकी कॉम्प्लेक्स TAZIZ के साथ समझौता किया है। यह समझौता सनकार समूह (भारत) के साथ किया गया है। इसके माध्यम से भारत 3.5 लाख टन पीवीसी फीड स्टॉक की आपूर्ति संभव होगी। AI, इलेक्ट्रीफिकेशन कूलिंग, अग्रिम औद्योगिक निर्माण एवं मोबीलिटी के क्षेत्र में भी दोनों देश मजबूत के साथ सहयोग को आगे बढ़ा रहे है। इसके माध्यम से डाटा सेन्टरों के निर्माण व विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बुनियादी ढांचागत विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की संभावना है। प्राकृतिक गैस व रिन्यूएबल ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड्स और अग्रिम तकनीक के क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग को बढ़ाने की संभावना है।

संयुक्त अरब अमिरात निश्चित रूप से ऊर्जा से अधिक संसाधन उपलब्ध कर सकता है। इसके माध्यम से बाजार पूंजी तकनीक बुनियादी ढांचागत विकास की आवश्यकताओं को भी गतिशीलता प्राप्त होने की संभावना है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाये हैं और भारतीय कॉर्पोरेट इन सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर निवेश के माध्यम से भारतीय कम्पनियों पश्चिम एशिया में अपना विस्तार कर सकती है, और अफ्रीका में भी प्रवेश कर सकती है। संयुक्त अरब अमिरात भारत में निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ा सकता है और विकास के क्षेत्र में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। यह साझेदारी भविष्य की मांग है।

महज होटल में ठहरने से नहीं हो जाता अदालत का क्षेत्राधिकार, न्यायालय ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

नयी दिल्ली@एजेन्सी। दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में दर्ज साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित एक व्यक्ति को 'ट्रांजिट अग्रिम जमानत' देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल शहर के एक होटल में थोड़े समय के लिए ठहरने के आधार पर कोई व्यक्ति दिल्ली की अदालत से संरक्षण का अनुरोध नहीं कर सकता।

सुरेंद्र शाह की ओर से दायर याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसने छत्तीसगढ़ की अदालत का रुख करने के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था। छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। दस अगस्त को पारित आदेश में अदालत ने कहा, 'होटल में अस्थायी रूप से ठहरना, जब तक कि उसके साथ सामान्य निवास, रोजगार, पेशा, व्यवसाय या इलाके से किसी अन्य वास्तविक संबंध का कोई प्रमाण न हो, अपने आप में इस अदालत को ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं देता।' शाह ने दावा किया था कि वह दिल्ली के मालवीय नगर में रह रहा है। हालांकि, जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसके द्वारा दिया गया पता केवल दिल्ली के एक होटल में दो रात की बुकिंग पर आधारित था और इससे यह साबित नहीं होता कि वह शहर का निवासी है। जांच एजेंसी ने दलील दी कि आरोपी ने दिल्ली में जमानत याचिका दाखिल करने का आधार तैयार करने के लिए ही होटल में ठहरने की व्यवस्था की, जबकि उसे छत्तीसगढ़ में उचित अदालत जाना चाहिए था। अदालत ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो कि वह दिल्ली में रहता है, काम करता है, कारोबार करता है या उसका शहर से कोई अन्य वास्तविक संबंध है। न्यायाधीश ने कहा, 'यदि इस तरह के आधार को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कोई भी आरोपी केवल किसी इलाके में अस्थायी रूप से ठहरकर अपनी सुविधा के अनुसार अदालत का चयन कर सकेगा। इससे क्षेत्रीय संबंध की अनिवार्यता महज औपचारिकता बन जाएगी और ऐसी अदालत चुनने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, जिसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी है।' अदालत ने याचिका को 'अदालत के चयन (फोरम शॉपिंग) का एक स्पष्ट उदाहरण' बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली से किसी वास्तविक क्षेत्रीय संबंध को स्थापित करने में विफल रहा है।

इसके बाद अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा, 'रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि यह याचिका केवल होटल में अस्थायी ठहरने के आधार पर दायर की गई है। इसलिए यह याचिका अदालत के चयन की प्रवृत्ति और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण प्रतीत होती है।' अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करता है और उचित क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष उपलब्ध उसके किसी भी कानूनी उपाय को प्रभावित नहीं करेगी।

न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में बीएसएफ जवान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खारिज की

नयी दिल्ली@एजेन्सी। उच्चतम न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को मंगलवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करना होगा। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने जवान की अपील मंजूर कर ली। इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पिछले साल दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2016 में उसके खिलाफ दर्ज किये गये मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने सीमा सुरक्षा बल के बटालियन कमांडेंट द्वारा जारी किए गए एक प्रमाणपत्र का हवाला दिया था। इस प्रमाणपत्र में बताया गया था कि संबंधित अवधि के दौरान उसे आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात किया गया था और वह आधिकारिक कार्यों के सिलसिले में मेरठ से बाहर तैनात था। खंडपीठ ने कहा कि उसी प्राथमिकी से जुड़े मामले में पूरी सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता के माता-पिता को बरी कर दिया था। खंडपीठ ने कहा, '' उपरोक्त कारणों से, यह अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है और अपीलकर्ता के सिलसिले में इसे रद्द किया जाना जरूरी है।''

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी न्याय निर्णय मूल निर्णयों की नकल नहीं हैं। यह निर्णय मूल निर्णय को पढ़कर पाठकों के हित में प्रकाशित किये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर मूल निर्णय को अवश्य देखें।

-संपादक

हेल्थ ◆ सोसायटी ◆ एज्युकेशन

समय की मांग

धर्म-अर्थ के काज हित, पेड़ बने सोपान।
सकल सनातन सत्य को, मानें हम वरदान।।

साभार :- शारदा-नवल डागा

आज का विचार

स्वयं की गलतियां देखने वाला इंसान भगवान बन सकता है।

- अज्ञात

नफा नुकसान

स्वत्वाधिकारी कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लि. के लिए मुद्रक व प्रकाशक जितेन्द्र कोठारी द्वारा 52-53, कल्याण कॉलोनी, मालवीया नगर, जयपुर-17 (रजि. ऑफिस) एवं 204, गौरव टॉवर मालवीया नगर, जयपुर-17 (कार्यालय) से प्रकाशित एवं कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, एसपीएल-4(ए), सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित।

सम्पादक: वैभव कोठारी
(पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)

फोन: 0141-4011152
0141-3518087

ई-मेल : info@nafanuksan.com

'भक्ति और पराभक्ति'

गीता के श्लोक 18/56 के अनुसार ऐसा भक्त सदैव सब कर्मों को करते हुए भी श्रीकृष्ण के आश्रित होकर वह विष्णु के शाश्वत अविनाशी धाम को प्राप्त करता है।

गीता के श्लोक 3/3 में भगवान् का सानिध्य प्राप्त करने के लिये कर्म निष्ठा तथा ज्ञान निष्ठा रूपी दो मार्ग बतलाये हैं। गीता के श्लोक 18/45 से 18/48 तक में अपने-अपने वर्णानुसार श्रद्धापूर्वक कर्म करने वाले कर्मयोगी के लिये अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा करके सिद्धि को प्राप्त बताया गया है। पर धर्म से गुण रहित स्वधर्म को श्रेष्ठ बताकर, स्वभाव से निश्चित किये हुए सहज कर्म को करने की भगवान श्रीकृष्ण से अनुशंसा की है।

जबकि गीता के श्लोक 18/4 से 18/55 तक में सांख्य निष्ठा वाले ज्ञान योगियों के लिये, सन्यास मार्ग द्वारा निष्कर्मता रूप परमसिद्धि को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन बताये हैं।

- क्रमशः
- पीसी वर्मा
पूर्व उपायुक्त,
वाणिज्यिक कर, जयपुर

Rotary Club Jaipur Emerald की 10वीं Installation Ceremony सम्पन्न

जयपुर@का.सं.। Rotary Club Jaipur Emerald की 10वीं Installation Ceremony का आयोजन सम्पन्न हुआ। समारोह में क्लब की नई कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया, वहीं 50 से अधिक नए members ने Rotary की सेवा भावना और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की शपथ ली। समारोह में Chief Guest Rtn. Aks Arun Bagadia, Guest of Honour PDG Rtn. Ajay Kala, Special Guest Rtn. Sanjay Kaushik एवं Installation Officer Rtn. Anjana Verma सहित वरिष्ठ Rotarians एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर Rtn. Harvinder Singh Sandhu ने Rotary Club Jaipur Emerald के नए President के रूप में पदभार ग्रहण किया।

dur International Ltd

PITTIE

House, Ambalal Doshi Marg, Fort, Mumbai-400001.
Email : investor@rajabahadur.com / rajabahadur@gmail.com,
adur.com CIN - L17120MH1926PLC001273

E & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS ARTER ENDED JUNE 30, 2026

rectors of the Company, based on the recommendations of the Audit its meeting held on August 13, 2026, considered and approved the ndalone & Consolidated) Financial Results of the Company for First une 30, 2026 along with Limited Review Reports by the Auditors of the uant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015.

Standalone & Consolidated) Financial Results along with Limited Review e Auditors thereon are available on the Company's Website at bahadur.com/fin.php and can also be accessed by scanning the below

For Raja Bahadur International Ltd.
Shridhar Pittie
Chairman & Managing Director
DIN: 00562400

e Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (LODR)

PORTS LIMITED

18100UP2011PLC043209

i P.O. Vindhyachal, Mirzapur, Uttar Pradesh, India, 231307
portslimited.com,Website: www.sbcexportslimited.com

tandalone and Consolidated Financial arter ended on June 30, 2026.

ated Financial Results for the quarter ts") have been reviewed by the Audit of Directors of the Company in their 026.

ble on the website of Stock Exchanges seindia.com (BSE) and also on the portslimited.com/financial-results and

SD/-
Govind ji Gupta
Managing Director

BAID FINSERV LIMITED

Regd. Office: "Baid House" IInd Floor, 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur-06 • Ph.: 9214018855
E.: baidfinance@baidgroup.in • W.: www.baidfinserv.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

INFORMATION TO THE MEMBERS REGARDING 35TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

1. The 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday, September 23, 2026 at 03:00 P.M. in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder read with General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 and earlier circulars issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") to transact the business as set out in the Notice calling the AGM , without the physical presence of the members at a common venues. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.
2. In compliance with the above mentioned circulars and SEBI Listing Regulations, the Notice of the AGM and the audited financial statements for the financial year 2025-26, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose name appears in the register of member as on Friday, August 21, 2026 and whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) ('DP')/ Registrar and Transfer Agent ('RTA'). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at http://www.baidfinserv.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at http://www.evotingindia.com. No physical copies will be dispatched to the members.
   For members who have not registered their email- address, a letter containing exact web-link of the website where details pertaining to the entire Annual report is hosted will also be sent at the address registered in the records of RTA/Company/ Depositories.
3. The Board of Directors at their meeting held on August 13, 2026 recommended a Final Dividend of Re. 0.10 per equity share, subject to approval of shareholders of the Company. The Company has fixed Wednesday, September 16, 2026 as the 'Record Date' for determining the entitlement of members to final dividend for FY 2025-26, if approved at the AGM.
   Pursuant to the recent amendment to Regulation 12 of the SEBI Listing Regulations, the company is mandated to pay dividend only through electronic mode as prescribed under the aforesaid Regulations. Accordingly members may note that dividend warrants, demand drafts, or cheques in physical form will no longer be issued by the company for payment of dividend.
4. Manner of Registering/ updating email addresses and/or bank account details:

Physical Holding	Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address and/or bank account details for receiving dividend directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means are requested to register/update their aforesaid details by submitting form ISR-1 dully filled and signed along with requisite supporting documents to MCS Share Transfer Agent Ltd, RTA of the Company at 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor Okhla Industrial Area, Phase - 1 New Delhi - 110020. The aforesaid forms can be accessed from the website of the RTA at https://www.mcsregistrars.com/downloads.php
Dematerialized Holding	Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/ updated their email addresses with the Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

5. Manner of casting vote(s) through e-voting:
   The detailed procedure for remote e-voting or e-voting during the meeting on the business as set out in the Notice of AGM.
   In case of queries, members are requested to write to RTA at helpdeskdelhi@mcs registrars.com
   The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the relevant circulars.

For Baid Finserv Limited
Sd/-
Panna Lal Baid
Chairman and Managing Director
DIN: 00009897

Place: Jaipur
Date: August 13, 2026